



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 कार्तिक 1939 (श0)
(सं0 पटना 1084) पटना, बृहस्पतिवार, 16 नवम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

16 नवम्बर 2017

एस०ओ० 290, दिनांक 16 नवम्बर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में आधिसूचित करते हैं, जो माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति के लिए ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए नीचे दी गई विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) की ततस्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय तक की गई है, के ब्यौरों को प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करेंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम संख्या	तिमाही जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समयावधि
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-सितंबर, 2017	31 दिसंबर, 2017
2.	अक्तूबर-दिसंबर, 2017	15 फरवरी, 2018
3.	जनवरी-मार्च, 2018	30 अप्रैल, 2018

3. अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के लिए, यथास्थिति ब्यौरों या विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय सीमा के विस्तार को पश्चातवर्ती रूप से राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

4. यह अधिसूचना दिनांक 15 नवंबर, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-4107)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

16 नवम्बर 2017

एस०ओ० 291, एस०ओ० 290, दिनांक 16 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-4107)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 16th November 2017

S.O. 290, dated the 16th November 2017— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, notifies the registered persons having aggregate turnover of upto 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons, who shall follow the special procedure as detailed below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

SI No.	Quarter for which the details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing the details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - September, 2017	31 st December, 2017
2	October - December, 2017	15 th February, 2018
3	January - March, 2018	30 th April, 2018

3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of July, 2017 to March, 2018 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

4. This notification shall come into force with effect from 15 November, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017—4107)]

By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
*Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1084-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>